

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2213] No. 2213] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून 2018

का.आ. 2945(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में विणित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक खंड को छोड़कर], सं.	बिहार
	28बी, सं. 30ए, सं. 80 [किमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड) तक खंड को छोड़कर],	राज्य
	सं. 81, सं. 82 [किमी 95.000 से किमी 149.020 (बिहारशरीफ – बरबिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर],	सरकार"
	सं. 98, सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं 105, सं. 106, सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33	
	(नई सं.) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय	

3405 GI/2018 (1)

राजमार्ग सं. 327 विस्तार, [रारा सं-327 (नई सं.) (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अरिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ने वाला और रारा-231 (नई सं.) पर बनगांव (बिरयाही बाजार) में समाप्त होने वाला राजमार्ग)], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला तथा रतुआ और देबीपुर को जोड़ने वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मिनहारी, किटहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)], नई रारा सं. 120, नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 327ए, नई रारा सं. 527ए और नई रारा सं. 727ए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।

[फा.सं. एनएच-14013/4/2018- पी एंड एम(पार्ट)] राजेश गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-1819(अ), दिनांकित 4 मई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2018

S.O. 2945(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
"4	So much of National Highways No.2C, No. 19[excluding from Km.143.200 to Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No. 28B, No.30A, No. 80 [excluding from km.1.430 to km.190.000 (Mokama-Munger-Mirzachowki section), No.81, No.82 [excluding from Km. 95.000 to Km. 149.020 (Biharsharif-Barbigha-Mokama section)], No.98, No. 99, No.101, No.103, NO.104, No.105, No.106, No.110, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [the highway starting from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting	State Government of Bihar"
	Thakurganj, Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul and terminating at (Bariyahi Bazar) Bangaon on NH-231 (new number)], new National Highway number 131 A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting	

Amdabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 (new number)],new NH No. 120, new NH No. 122A, new NH No. 133, new NH No. 219, new NH No. 227A, new NH No. 327A, new NH No. 333A, new NH No. 527A and new NH No. 727A as are situated within the State of Bihar.

[F. No. NH-14013//4/2018-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide Gazette Notification No. 1819 dated the 4th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

का.आ. 2946(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
संख्या		
(1)	(2)	(3)
"30	आरा - मोहनिया खंड	किमी 0.0 से किमी 117.00
	(बिहार राज्य में)	

[फा.सं. एनएच-14013/4/2018-पी एंड एम (पार्ट)] राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAY NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2018

S.O. 2946(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
"30	Ara-Mohania Section (In the State of Bihar)	Km 0.0 to 117.00

[F. No. NH-14013//4/2018-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.